(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1871–एक / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–186 / अपील / 04–05

.....

रामदयाल तनय जयकरण पटेल

निवासी–ग्राम तितली, तहसील सिंहावल

जिला–सीधी(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

1– मुस0 गुजरतियां पत्नी रामानुज पटेल

2– संतोष कुमार तनय रामानुज पटेल

3– मिश्रीलाल तनय रामानुज पटेल

4– अमृतलाल तनय रामानुज पटेल

5– सनत कुमार तनय रामानुज पटेल

चारों नाबलिग द्वारा बल संरक्षिका मॉ मुस0 गुजरतिया पत्नी रामानुज पटेल

निवासीगण–ग्राम तितली तहसील सिंहावल

जिला–सीधी(म0प्र0)

6– लखपति तनय बलवंत पटेल

7– शेषमणि तनय बलवंत पटेल

8– मुस0 सुकुरी पत्नी रघुनाथ पटेल

9– रामसखा जनय रघुनाथ पटेल

10– केशव पिता रघुनाथ पटेल

11– रामसेवक पिता रघुनाथ पटेल

12– रामप्रसन्न पिता जयराम पटेल

13– जग्यलाल पिता जयराम पटेल

14– जगदीश पिता सुखदेव पटेल

15– शिवनारायण तनय बलवंत पटेल

निवासीगण–ग्राम तितली तहसील सिहावत

जिला–सीधी (म0प्र0)

———अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/09/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 15 द्वारा ग्राम तितली की प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 202 का बटवारा नामांतरण हेतु संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार सिहावल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार ने दिनांक 08.04.2004 को बटवारा नामांतरण का आदेश पारित किया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 लगायत 5 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 70/अपील/2003–04 में दिनांक 29.06.2005 से अपील निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 186/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2007 से अपील स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का

निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था । संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विधिवत इश्तहार जारी कर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना तामील किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा न तो विधिवत इश्तहार ही जारी किया गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। पुल्ली पेश होने पर आपत्ति भी नहीं मंगाई गई । जबकि पुल्ली पेश होने आपत्ति मंगाई जानी चाहिये थी और आपत्ति प्राप्त होने पर उनका निराकरण विधिसंगत किये जाने के पश्चात् फर्द बटवारा का आदेश पारित किया जाना चाहिये था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई विधिक कार्यवाही ही नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी इन विधिक बिन्दुओं पर बिना विचार किये ही तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में अनियमितता परिलक्षित होती है, इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2007 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,